मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 (चैत्र 13, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष (वाणिज्यिक) तथा (राजस्व प्राप्तियाँ),

(ख) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000; तथा,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1999-2000) एवं लोक आयुक्त संगठन का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, प्रभाकर सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शहडोल जिले के पर्यटक स्थल अमरकंटक में अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री तेजसिंह सेंधव, रंजीत सिंह गुणवान, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद-आष्टा मार्ग के जंजालखेड़ी घाट पर एक व्यापारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री तेजसिंह सेंधव, सभापति, लोक लेखा समिति के 166 वां से 222वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 अप्रैल, 2002